रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सीजी-डीएल-अ-15072022-237307
CG-DL-E-15072022-237307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
No. 508] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 578(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर मान्यता (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:

"4. आवेदन के लिए शुल्क. - (1) नियम 3 के उपनियम (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन के संबंध में, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर के माध्यम से निम्नलिखित शुल्क देय होगा:

क्रम संख्या	चिड़ियाघर की श्रेणी	शुल्क (भारतीय रुपये में)
1	बड़ा	2,00,000/-
2	मध्यम	2,00,000/-
3	छोटा	1,00,000/-
4	लघु	50,000/-

परन्तु नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत किए गए पहले आवेदन के संबंध में नव स्थापित चिड़ियाघर द्वारा रुपये 2,00,000/- का शुल्क श्रेणी के बावजूद देय होगा।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के तहत किए गए हर आवेदन के संबंध में रुपये 2,00,000/- का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर के माध्यम से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा।"

3. नियम 8 के उपनियम (2) में शब्द "सिवाय इसके कि मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में संदेय फीस पांच हज़ार रुपए देने होंगे " का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 26-3/2020-केचिप्रा(राज-पत्र)]

रोहित तिवारी, महानिरीक्षक, वन (वन्य जीव)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 807(अ), तारीख 10 नवंबर 2009 द्वारा प्रकशित किये गए थे, और सा.का.नि.संख्यांक 657(अ) तारीख 26 सितम्बर, 2013 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Recognition of Zoo Rules, 2009, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Recognition of Zoo (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Recognition of Zoo Rules, 2009, for rule 4, the following shall be substituted, namely:

"4. Fee for Application. **-** (1) In respect of every application made under sub-rule (1) of rule 3, the following fee shall be payable through Demand Draft or Postal Order or Electronic Transfer in favour of the Central Zoo Authority, New Delhi:

Sr. No.	Category of zoo	Fee (in Indian rupees)
1	Large	2,00,000/-
2	Medium	2,00,000/-
3	Small	1,00,000/-
4	Mini	50,000/-

Provided that a fee of Rs. 2,00,000/- shall be payable in respect of a newly established zoo making its first application under sub-rule (1) of rule 3 regardless of category.

(2) In respect of every application made under sub-rule (2) of rule 3, a fee of Rs. 2,00,000/- shall be payable through Demand Draft or Postal Order or Electronic Transfer in favour of the Central Zoo Authority, New Delhi".

3. In rule 8, in sub-rule (2), the words "except that the fee payable in respect of an application for renewal of recognition shall be five thousand rupees" shall be omitted.

[F. No. 26-3/2020-CZA(GAZETTE)]

ROHIT TIWARI, Inspector General of Forests (Wildlife)

Note :The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, sub-section (i), dated the 10th November, 2009 vide number G.S.R. 807(E) and last amended vide number G.S.R. 657(E), dated the 26th September**,** 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM